कार्यालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

सूचना का अधिकार–प्रथम अपील संख्या 06/2022

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
रविन्द्र सिंह निवासी–देवी रोड, भूरटिया, सूरसागर, जोधपुर		**लोक सूचना अधिकारी** **अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,** **जोधपुर**

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर)कार्यालय हाजा।

निर्णय

दिनांक 06.09.2022

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी की टिप्पणी एवं पत्रावली का विशद परिशिलन किया गया।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी–अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर को प्रेषित ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2022, के द्वारा वर्ष 2014 से अब तक श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय जोधपुर द्वारा जिन राजकीय कार्मिको को तृतीय श्रेणी के आवास आवंटित किये गये है, उन तृतीय श्रेणी राजकीय आवासों के आवंटन आदेशों की प्रतिलिपी उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था। इस हेतु नियमानुसार प्रतिलिपी शुल्क अवगत कराने पर जमा करा दिये जाने का प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया। उक्त कम में लोक सूचना अधिकारी के प्रत्युत्तर से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
4. प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 21..06.2022 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में संस्थित प्रकरण की पत्रावली तलब की गई एवं अपील पर टिप्पणी चाही गई।
5. अपीलार्थी को सुनवाई हेंतु दिनांक 02.09.2022 को अवसर दिये जाने के उपरांत अनुपस्थित रहे।
6. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अपनी टिप्पणी व उसके सलग्न प्रार्थी–रविन्द्र सिंह द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रेषित ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2022 के

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

संदर्भ में दर्ज प्रकरण संख्या 65/2022 की पत्रावली प्रस्तुत कर मुख्यतः यह अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2014 से अब तक श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय जोधपुर द्वारा जिन राजकीय कार्मिको को तृतीय श्रेणी के आवास आवंटित किये गये है, उन तृतीय श्रेणी राजकीय आवास आवंटन आदेशों की प्रतिलिपी चाही गई थी। प्रार्थी को वांछित सूचना के क्रम में इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः 119 दिनांक 18.07.2022 के द्वारा यह सूचित किया गया कि आपके आवेदन पत्र में वर्ष (2014) में माह एवं तिथि का उल्लेख नही किया गया है, तथापि आप कार्यालय समय में उपस्थित होकर संबंधित आवास शाखा की पत्रावली में उपलब्ध आदेशों का निरीक्षण के उपरान्त चिन्हित करें, ताकि सूचना उपलब्ध करायी जा सके। तदउरांत प्रार्थी द्वारा कार्यालय में न तो कोई प्रत्युत्तर दिया गया और न ही स्वयं उपस्थित हुए। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारीज फरमाने का आग्रह किया गया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज विनिश्चय प्रदत्त है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थी–अपीलार्थी के ऑनलाईन आवेदन/प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2022 के संदर्भ में जरिये पत्र क्रमांकः 119 दिनांक 18.07.2022 के द्वारा निर्धारित समयावधि में यह सूचित कर दिया गया था कि "आवेदन पत्र में वर्ष (2014) में माह एवं तिथि का उल्लेख नही होने के कारण, आप कार्यालय समय में उपस्थित होकर संबंधित आवास शाखा की पत्रावली में उपलब्ध आदेशों का निरीक्षण के उपरान्त सूचना चिन्हित करें ताकि वांछित सूचना उपलब्ध करायी जा सके।" तदउरांत प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नही की गई और न ही कार्यालय की आवास शाखा की पत्रावलियों का निरीक्षण कर आदेश चिन्हित किये गये। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने के कारण प्रस्तुत अपील खारीज फरमाने का आग्रह किया गया।

8. चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब/पत्र 119 दिनांक 18.07.2022 के क्रम में मुख्यतः यह निवेदन किया गया है कि अगर वह कार्यालय में उपस्थित हो सकता तो ऑनलाईन आवेदन नही करता। अतः आपकी सुलभ सुविधा हेतु दिनांक 01 जनवरी 2014 से दिनांक 21.06.2022 तक आवंटित तृतीय श्रेणी के राजकीय आवासों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराने का श्रम करावे, वह कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना का निरीक्षण/चिन्हित संबंधी प्रक्रिया नही कर सकता। वस्तुतः प्रार्थी को उक्त प्रतिक्रिया लोक सूचना अधिकारी के समक्ष

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

अपने आवेदन के कम में प्राप्त प्रत्यत्तुर के दौरान की जानी चाहिए थी, जबकि उसके द्वारा ऐसा नही करने से प्रथम दृष्टया उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होना प्रतीत है। यदि प्रार्थी को उक्त दस्तावेजों की वाकई में आवश्यकता है तो वह लोक सूचना अधिकारी के समक्ष पुनः नये सिरे से आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने के कारण प्रस्तुत अपील खारीज की जाती है।

9. पत्रावली बाद निर्णय, नम्बर से कम की जावे तथा निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा को प्रेषित की जावे।

6/9/22

(कैलाश चन्द मीना)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर

कार्यालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर